आपात खरीद के लिए

सेना ने 7,600 करोड़ की 49 योजनाओं का अनुबंध किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अगस्त।

स्वदेशी उपाय के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर बल बनने की अपनी दृष्टि के अनुरूप, ड्रोन से लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तक की क्षमताओं को पूरा करने के लिए आपात खरीद के चौथे दौर के तहत सेना ने 7,600 करोड़ रुपए की 49 योजनाओं का अनुबंध किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने यह भी कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक लचीले और अनुकूलक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपात खरीद (ईपी) की पहली तीन किश्तों में 6,600 करोड़ रुपए की 68 योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

> **सेना** 2023 को 'परिवर्तन के वर्ष' के रूप में मना रही है और अपनी क्षमताओं में बड़ा उछाल लाने के लिए कार्यात्मक प्रक्रियाओं को नया आकार देने और फिर से तैयार करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है।

रक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने कहा, चौथी किश्त के तहत, गतिशीलता समाधान से लेकर संचार प्रणाली, ऊर्जा समाधान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हथियार और सिमुलेटर, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन जैसी क्षमताओं के लिए 7,600 करोड़ रुपए की 49 योजनाओं का अनुबंध किया गया है। सेना 2023 को 'परिवर्तन के वर्ष' के रूप में मना रही है और अपनी क्षमताओं में बड़ा उछाल लाने के लिए कार्यात्मक प्रक्रियाओं को नया आकार देने और फिर से तैयार करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। सूत्रों ने कहा कि यह भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और एक जीवंत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इरादे से 'आत्मनिर्भरता' के दृष्टिकोण को साकार करने का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपात खरीद के चौथे दौर के तहत अनुबंधित की जा रही 49 योजनाओं के अलावा, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की 34 योजनाएं खरीद के अंतिम चरण में हैं।

पंजाब में आतंकी साजिश का भंडाफोड़

चंडीगढ़, 14 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर एक और आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया, जो राज्य में लक्षित हत्याएं की कथित तौर पर साजिश रच रहे थे। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हरविंदर रिंदा और अमेरिका स्थित गोल्डी बराड़ के इशारे पर काम कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि उनके पास से विदेश में निर्मित कथित तौर पर पिस्तौल भी जब्त किए गए हैं।

प्रधान न्यायाधीश के नाम से फर्जी पोस्ट साझा करने वालों पर होगी कार्रवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अगस्त।

उच्चतम न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश के नाम से सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे एक पोस्ट को फर्जी बताया है। अदालत के रजिस्ट्रार जनरल अतुल कुरहेकर और सालीसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों ने ही कहा है कि इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पोस्ट में वाट्सऐप पर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के फोटो के साथ उन्हें उदधृत करते हुए लोगों से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में बयान जारी कर आम जनता को आगाह किया है। अदालत के जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है-उच्चतम न्यायालय की जानकारी में आया है कि लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट प्रधान न्यायाधीश के फोटो के साथ उन्हें उदधृत करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। यह पोस्ट फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और शरारती है। न तो प्रधान न्यायाधीश ने कभी भी ऐसा कोई पोस्ट खुद जारी किया है और न ही किसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया है। इस संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अगस्त।

उच्चतम न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को सिंगापुर उच्च न्यायालय के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्वामी द्वारा दायर अपील पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई अब छह हफ्ते बाद होगी।

स्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 18 अप्रैल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 2014 में कंपनी के खिलाफ दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था। यह मामला 26 अप्रैल, 2012 को नई दिल्ली में स्वामी की प्रेस वार्ता से संबंधित है। इसके दौरान उन्होंने कथित तौर पर 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन और एअरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित अनियमितताओं पर टिप्पणी की थी।

निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति विधेयक

खोज समिति की सिफारिशों से इतर नामों पर विचार कर सकेगा पैनल

नई दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नीत पैनल को अधिकार होगा कि वह उन नामों पर भी विचार कर सकता है जिनका चयन कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली खोज समिति ने नहीं किया हो। संसद में हाल ही में पेश एक विधेयक में यह बात कही गई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 की धारा 6 के अनुसार, खोज समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे जो सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे तथा उन्हें चुनाव से जुड़े विषयों का ज्ञान और अनुभव होगा। यह खोज समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार के लिए पांच नामों को सूचीबद्ध करेगी। प्रस्तावित कानून की धारा 8 (2) के अनुसार, चयन समिति उन नामों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोज समिति ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया गया है। विधेयक की धारा 7 (1) में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

SpiceJet Limited

Regd Office : Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi 110 037
CIN: L51909DL1984PLC288239
E-mail: investors@spicejet.com | Website: www.spicejet.com. | Telephone: +91 124 391 3939 | Facsimile: +91 124 391 3888

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2023

(Rupees in millions)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
1	Total income from operations	20,017.4	21,448.6	24,567.7	88,688.4	20,035.9	21,450.7	24,571.8	88,735.9
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,045.6	168.6	(7,888.3)	(15,030.2)	1,976.3	(62.2)	(7,836.2)	(15,129.5)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	2,045.6	168.6	(7,888.3)	(15,030.2)	1,976.3	(62.2)	(7,836.2)	(15,129.5)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,045.6	168.6	(7,888.3)	(15,030.2)	1,976.3	(62.2)	(7,836.2)	(15,129.5)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,045.3	107.4	(7,879.4)	(15,031.3)	1,975.4	(124.0)	(7,827.3)	(15,130.0)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] attributable to :								
	- Owners of the holding company	-	-	-	-	1,975.8	(123.6)	(7,828.4)	(15,128.1)
	- Non-controlling interests	-	-	-	-	(0.4)	(0.4)	1.1	(1.8)
7	Equity share capital	6,018.5	6,018.5	6,018.0	6,018.5	6,018.5	6,018.5	6,018.0	6,018.5
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the year ended March 31, 2023.				(38,334.5)				(64,521.6)
9	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualized)								
	a) Basic (Rs)	3.40	0.28	(13.11)	(24.99)	3.28	(0.10)	(13.02)	(25.14)
	b) Diluted (Rs)	3.40	0.28	(13.11)	(24.99)	3.28	(0.10)	(13.02)	(25.14)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2023, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2023 are available on the Company's website www.spicejet.com and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

Place: Gurugram, Haryana
Date: 14 August, 2023

For SpiceJet Limited
Sd/-
Ajay Singh
Chairman and Managing Director

www.readwhere.com